| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | न… अहक… की ता… |
|---|---|---|
| 5/4/18<br><br>अ० नि०<br>मनोहर<br><br>अ० नि०<br>लखन | वकील वादी उपस्थित। प्रति 1,2,4,5 प्रति सं. 3 बावजूद तामील उप० नहीं है। उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते अखबार 1,2, दिनांक 31.5.18 को पेश हो।<br>SDO | CA … 1660 18-5-18 |
| | 31/5/18<br>पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकीलान उपस्थित। वकीलान पत्रावली/साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते। वकीलान प्रारंभिक डिक्री जारी करने हेतु सहमत है। अतः मुताबिक पक्षकारान की सहमति प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर हस्ताक्षरित किया गया। तह० से कुर्रा रिपोर्ट तलब हो। पत्रावली दिनांक 13.6.18 को पेश हो।<br>SDO | |
| 13/6/18 | पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकीलान उपस्थित। तह० से कुर्रा रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। पुनः लिखा जावे। वास्ते तलबी कुर्रा रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 21.6.18 को पेश हो।<br>SDO (S) | |

Scanned by CamScanner

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|
| पत्रावली आज कोर्ट मे पेश हुई। वकील उपस्थित। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो गई है व बहस कुर्रेजात रिपोर्ट सुनी गई। वकील को कोई एतराज कुर्रेजात रिपोर्ट पर नहीं है अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा वादी डिक्री किया जाता है डिस्ट्रिक्ट नियमानुसार हक से लिखाया जाकर अमलदरामद किया जाना। पत्रावली फैसल शुमार होकर मु० खाने आज ही सुनाया। <br> SDOIC | |

## यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

**राजस्व वाद संख्या 1 / 130 / 17**

बउनवान

1. सतीश पुत्र उमेदी जाति माली निवासी नंगलारामपुरा(चावंड का नंगला) तहसील कठूमर
2. ओमप्रकाश पुत्र उमेदी जाति माली निवासी नंगलारामपुरा(चावंड का नंगला) तहसील कठूमर
3. लोकेश पुत्र अतरसिंह पौत्र उमेदी जाति माली निवासी नंगलारामपुरा(चावंड का नंगला) तहसील कठूमर

—— वादी

बनाम

1. मनोहरी पुत्र रेवती जाति माली निवासी नंगलारामपुरा तहसील कठूमर
2. लक्ष्मण पुत्र रेवती जाति माली निवासी नंगलारामपुरा तहसील कठूमर
3. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

——— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री राजेश कुमार अवस्थी :— अधिवक्ता वादी

श्री ओमवीर सिंह फौजदार :— अधिवक्ता प्रतिवादी

## निर्णय

**दिनांक 31.05.2018**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 62 रकबा 0.16 हे., खसरा नम्बर 98 रकबा 0.09 हे., खसरा नम्बर 101 रकबा 0.08 हे., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.15 हे., खसरा नम्बर 126 रकबा 0.08 हे., खसरा नम्बर 137 रकबा 0.15 हे., खसरा नम्बर 166 रकबा 1.32 हे., खसरा नम्बर 176 रकबा 0.13 हे., खसरा नम्बर 236 रकबा 0.59 हे., खसरा नम्बर 253 रकबा 0. 40 हे., खसरा नम्बर 265 रकबा 0.06 हे., खसरा नम्बर 278 रकबा 0.39 हे. वाके ग्राम नंगलारामपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है वादी ने

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। वकीलवादी उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 1 ला0 2 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं हुये जिनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 वाके ग्राम नंगलारामपुरा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

पत्रावली कोर्ट कैम्प में पेश हुई। वकुलाय/फैरिकेन उपस्थित हुये। वकुलाय जवाब/साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते। वकुलाय कानूनी तकासमा कराने की सहमति दी है। वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस में अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है। राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वयान गवाह का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी पर शामलात कब्जे काश्त का अनुमान किया जाता है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन व विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन करने पर दावा वादी सावित होने से प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

## आदेश

अतः दावा वादीगण वावत आराजी खसरा नम्बर 62 रकबा 0.16 हे., खसरा नम्बर 98 रकबा 0.09 हे., खसरा नम्बर 101 रकबा 0.08 हे., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.15 हे., खसरा नम्बर 126 रकबा 0.08 हे., खसरा नम्बर 137 रकबा 0.15 हे., खसरा नम्बर 166 रकबा 1.32 हे., खसरा नम्बर 176 रकबा 0.13 हे., खसरा नम्बर 236 रकबा 0.59 हे., खसरा नम्बर 253 रकबा 0.40 हे., खसरा नम्बर 265 रकबा 0.06 हे., खसरा नम्बर 278 रकबा 0.39 हे. वाके ग्राम नंगलारामपुरा का

Scanned by CamScanner

हिस्सेनुसार वाके ग्राम नंगलारामपुरा प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते हे कि वो उक्त आराजी पर मौके पर पहुॅच कर पक्षकारान की उपस्थिति में मुताबिक रिकोर्ड(हिस्सा जमाबन्दी) एवं कब्जाकास्त विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी वुरी में से वुरी नियमानुसार तकासमा ( विभाजन प्रस्ताव ) तैयार कर न्यायालय में पेश करें। ताकि वाद अंतिम रूप डिकी किया जा सके।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

आज दिनांक 31.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/130/17

बउनवान

1. सतीश पुत्र उमेदी जाति माली
2. औमप्रकाश पुत्र उमेदी जाति माली
3. लोकेश पुत्र अतरसिंह पोत्र उमेदी जाति माली निवासीयान नगलारामपुरा ( चाबडकानगला ) तहसील कठूमर

—— वादीगण

बनाम

1. मनोहरी पुत्र रेवती जाति माली
2. लक्ष्मण पुत्र रेवती जाति माली

निवासीयान नगलारामपुरा तहसील कठूमर

3.. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री राजेश कुमार अवस्थी – अधिवक्ता वादीगण

श्री औमवीरसिंह फौजदार – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

## निर्णय

दिनांक 21.06.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 62, 98, 101, 115, 126, 137, 166, 176, 236, 253, 265, 278 किता 12 रकवा 3.60 हे. वाके ग्राम नगलारामपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा कराने वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया।,

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता हाजिर अदालत हुये। पक्षकारान की सहमति पर दावा वादीगण दिनांक 31.05.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिकी किया गया।

निर्णय की पालना में तहसीलदार कठूमर द्वारा हाजिर अदालत होकर अपनी कुरेजात रिपोर्ट पेश की है जिस कुरेजात रिपोर्ट पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है। अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

## आदेश

अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 62 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.05 हे0 98 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.03 हे. 101 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.03 हे. 115 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.05हे. 126 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.02 हे. 137 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.05 हे. 166 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.44 हे. 176 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.20 हे. 236 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.13 हे. 253 मिन मध्य रकवा 0.02 हे. 278 मिन मध्य रकवा 0.13 हे. किता 12 रकवा 1.20 हे. वाके ग्राम नगलारामपुरा प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी मनोहरी पुत्र रेबती को एंव खसरा नम्बर 62 मिन मध्य रकवा 0.05 हे0 98 मिन तध्य रकवा 0.03 हे. 101 मिन मध्य रकवा 0.03 हे. 115 मिन मध्य रकवा 0.05 हे. 126 मिन मध्य रकवा 0.03 हे. 137 मिन मध्य रकवा 0.05 हे. 166 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.44 हे. 176 मिन तर्फ मध्य रकवा 0.04 हे. 236 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.20 हे. 253 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.13 हे. 265 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.04 हे. 278 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.13 हे. किता 12 रकवा 1.22 हे. वाके ग्राम नगलारामपुरा प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मण पुत्र रेवती माली व खसरा नम्बर 62 मिन तर्फ पूर्व रकवा 0.06 हे0 98 मिन तर्फ पूर्व रकवा 0.03 हे. 101 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.02 हे. 115 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.05 हे. 126 मिन तर्फ पूर्व रकवा 0.03 हे. 137 मिन तर्फ पूर्व रकवा 0. 05 हे. 166 मिन तर्फ दक्षिण पूर्व रकवा 0.44 हे. 236 मिन मध्य रकवा 0.19 हे. 253 मिन पूर्व

Scanned by CamScanner

रकवा 0.14 हे. 278 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.13 हे. किता 11 रकवा 1.18 हे. वाके ग्राम नगलारामपुरा वादीगण सतीश औमप्रकाश पुत्रान उमेदी 2/3 हिस्सा व लोकेश पुत्र अतरसिंह नाबालिग जरिये सपरस्त चाचा औमप्रकाश हिस्सा 1/3 को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर कों आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

आज दिनांक 21.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/130/17

बउनवान

1. सतीश पुत्र उमेदी जाति माली
2. औमप्रकाश पुत्र उमेदी जाति माली
3. लोकेश पुत्र अतरसिंह पोत्र उमेदी जाति माली निवासीयान नगलारामपुरा ( चाबडकानगला ) तहसील कठूमर

—— डिक्रीदारान

बनाम

1. मनोहरी पुत्र रेवती जाति माली
2. लक्ष्मण पुत्र रेवती जाति माली
निवासीयान नगलारामपुरा तहसील कठूमर
3.. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

मदयूनान

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 62 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.05 हे0 98 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.03 हे. 101 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.03 हे. 115 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.05हे. 126 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.02 हे. 137 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.05 हे. 166 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.44 हे. 176 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.20 हे. 236 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.13 हे. 253 मिन मध्य रकवा 0.02 हे. 278 मिन मध्य रकवा 0.13 हे. किता 12 रकवा 1.20 हे. वाके ग्राम नगलारामपुरा प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी मनोहरी पुत्र रेबती को एंव खसरा नम्बर 62 मिन मध्य रकवा 0.05 हे0 98 मिन तध्य रकवा 0.03 हे. 101 मिन मध्य रकवा 0.03 हे. 115 मिन मध्य रकवा 0.05 हे. 126 मिन

Scanned by CamScanner

संख्या 1 प्रतिवादी मनोहरी पुत्र रेबती को एंव खसरा नम्बर 62 मिन मध्य रकवा 0.05 हे0 98 मिन तध्य रकवा 0.03 हे. 101 मिन मध्य रकवा 0.03 हे. 115 मिन मध्य रकवा 0.05 हे. 126 मिन मध्य रकवा 0.03 हे. 137 मिन मध्य रकवा 0.05 हे. 166 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.44 हे. 176 मिन तर्फ मध्य रकवा 0.04 हे. 236 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.20 हे. 253 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.13 हे. 265 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.04 हे. 278 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.13 हे. किता 12 रकवा 1.22 हे. वाके ग्राम नगलारामपुरा प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मण पुत्र रेवती माली व खसरा नम्बर 62 मिन तर्फ पूर्व रकवा 0.06 हे0 98 मिन तर्फ पूर्व रकवा 0.03 हे. 101 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.02 हे. 115 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.05 हे. 126 मिन तर्फ पूर्व रकवा 0.03 हे. 137 मिन तर्फ पूर्व रकवा 0. 05 हे. 166 मिन तर्फ दक्षिणं पूर्व रकवा 0.44 हे. 236 मिन मध्य रकवा 0.19 हे. 253 मिन पूर्व रकवा 0.14 हे. 278 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.13 हे. किता 11 रकवा 1.18 हे. वाके ग्राम नगलारामपुरा वादीगण सतीश औमप्रकाश पुत्रान उमेदी 2/3 हिस्सा वं लोकेश पुत्र अतरसिंह नाबालिग जरिये सपरस्त चाचा औमप्रकाश हिस्सा 1/3 को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर कों आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 21.06.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner